भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1345

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

केन्द्रीय त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पेस)

1345. श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

श्री कुरुवा गोरांतला माधवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पेस) की स्थापना के उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या हैं;
(ख) क्या इस वर्ष के बजट में की गई घोषणा के अनुसार त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पेस) की स्थापना की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) सी-पेस के माध्यम से निकास प्रक्रिया का लाभ उठाने वाली कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ङ) मंत्रालय द्वारा कंपनियों के लिए बाहर निकलने की प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यापार करने में सुगमता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(च) सी-पेस के भाग के रूप में इसकी शुरुआत से अब तक कितने मामलों का समाधान किया गया है और सी-पेस की स्थापना में कितना विलंब हुआ है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (छ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 248(2) के प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक निकास के लिए फाइल किए गए आवेदनों को सुविधाजनक बनाने और उनमें तेजी लाने के लिए दिनांक 01.05.2023 से त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना की गई और उसका प्रचालन शुरू किया गया है। सी-पेस के अंतर्गत स्वैच्छिक समापन के आवेदनों पर एक कुशल और समान परिणाम के लिए केंद्रीकृत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। सी-पेस की स्थापना के बाद से, अधिनियम की धारा 248 (2) के तहत 05.12.2023 तक 7721 कंपनियों का समापन कर दिया गया है।

कंपनियों के लिए आसान निकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के लिए, वित्त मंत्री के बजट भाषण (2022-23) के पैरा 77 में कल्पना की गई थी कि सी-पेस के माध्यम से कंपनियों को बंद करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 2 साल से घटाकर 6 महीने से भी कम कर दिया जाएगा। सी-पेस के अंतर्गत स्वैच्छिक निकास में लगने वाला समय चालू वर्ष के दौरान घटकर लगभग 110 दिन रह गया है।

******